

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार  
जरिये पटवार हल्का बरेव  
मुकदमा नं. 29 / 2018

सहक श्री अनुरादीत  
पुत्र श्री अनुरादीत  
जाति लौहार बरेव  
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेव खसरा नम्बर 587  
रकबा 0.56 हैक्टर किसम कृषि (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री अनुरादीत  
पुत्र श्री अनुरादीत जाति लौहार निवासी बरेव (जिरी  
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा कृषि लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का  
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

का नोटिस नामिल मुदा प्राप्ति हुआ है जो शामिल मित्रल है। अफार्थी द्वारा डिवाइस प्रसार का गवाब पेश नही किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव  
ख.न. 587 रकबा 0.56 किसम कृषि पर संवत् 2075 में विना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर कृषि लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रूपया 2 प्रति हेक्टर का 50 गुणा रूपया 100/रु (रूपये कल्पन रूपय कर) शास्ति कायम की जाती है।

क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव निर्णय की  
बरेव एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

Qan  
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

श. 2018-19  
पल 61  
भांन 56/- 50 को